

भाग-II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम

संख्या-FP/UP/Others/20978/2016

7- परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद-हरदोई में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सण्डीला -बालामऊ मार्ग (राजमार्ग सं०-25) कि०मी० - 202 से 203 के मध्य बांयी पटरी पर स्थित ग्राम-रैसो परगना व तहसील-सण्डीला में पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति। उत्तर प्रदेश। हरदोई। सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई 0.06677 हे०
(I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
(II) जिला	
(III) वन प्रभाग	
(IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	
(V) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) स्वामित्व लो०नि०वि०
(VI) हरियाली का घनत्व	0.38 औसत
(VII) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)	किसी वृक्ष की क्षति नहीं हो रही है।
। सिचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जायें)	
(VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
(IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य
(X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जायें)।	नहीं।
(XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं।
(XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	हाँ प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	नहीं।

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा-	क्षतिपूरक वनीकरण कार्य पलिया-लखनऊ मार्ग से कटियाऊ गढ़ी लिंक मार्ग के किनारे उपलब्ध रिक्त भूमि पर ब्रिकगार्ड में वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। वन क्षेत्र से दूरी-लगभग 07 कि०मी० मार्ग पटरी भूमि।
(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी,भू खण्ड का आकर। (II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। (III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कायान्वयन एजेन्सी,समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। (IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्य। (V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	पृष्ठ सं०-56 पर संलग्न है। ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन भूमि वर्ग की उपलब्धता के अनुसार, कार्यदायी संस्था-सा०वा० वन प्रभाग, हरदोई अवधि-2016-17 से 2019-20 तक लागत रु०-4,14000.00 रु०-4,14000.00 पृष्ठ सं०-23 पर संलग्न है।
11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	पृष्ठ सं०-26 पर संलग्न है।
12-विभाग/जिला प्रोफाइल (I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (II) जिले का वन क्षेत्र (III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र (IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर (IV) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	5989 वर्ग कि०मी० 119.62 वर्ग कि०मी० स्वीकृत मामलों की संख्या-23 क्षेत्रफल-28.4332 हे०। शून्य शून्य 3.945 हे० 3283.254 हे०।
13-प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति की जाती है।
तिथि: 30-9-2016 स्थान-हरदोई	 (जी० सी० त्रिपाठी) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी एवं वन्य जीव प्रभाग, सा० वन विभाग, हरदोई